

प्रेषक

महानिदेशक खजाना तथा लेखा विभाग,  
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

सेवा में

**Sh.Gurpreet Singh. Section Officer.**  
**O/o S.E.Govt.Central Work Shop Haraya Industrial Arrea,**  
**Chandigarh**

PH-II

यादी क्रमांक 4345 टीए-हर-4टी/2016/2105  
दिनांक 30/3/17

विषय: अतिरिक्त चार्ज देने बारे ।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में ।

2. आपको अपने कार्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग (पेंशन ब्रांच) का अतिरिक्त कार्य सप्ताह में 2 दिन (बुद्धवार तथा शुक्रवार) करने के आदेश दिये जाते हैं । यदि उपरोक्त आदेशों की पालना में कोताही की गई तो आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी ।

संयुक्त निदेशक,

कृते: महानिदेशक खजाना तथा लेखा विभाग,  
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

पृ० क्रमांक 4345 टीए-हर; 4टी/16/ दिनांक

उपरोक्त की एक निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ/आगामी कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा, सरकार वित्त विभाग (पेंशन ब्रान्च ) हरियाणा सिविल सचिवालय चण्डीगढ़ ।
2. **S.E.Govt.Central Work Shop Haraya Industrial Arrea, Chandigarh.**



संयुक्त निदेशक,  
कृते: महानिदेशक खजाना तथा लेखा विभाग,  
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।